कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
क.रा.बी.नि
E.S.I.C.

मुख्यालय
Headquarters'
पंचदीप भवन सी॰आई॰जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
सत्यमेव जयते
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

फाइल संख्या: **I-17012/1/2022-आईसीटी** दिनांक 02.5.2025 :

परिपत्र

विषय : साइबर सुरक्षा पर सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन सत्र ।

"साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश एवं प्रोटोकॉल का अनुपालन" विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या I-11015/19/2021-आईसीटी- भाग (2) दिनांक 27.08.2024 का संदर्भ लें जिसके अंतर्गत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा सरकारी संस्थाओं के लिए सूचना सुरक्षा पद्धतियों पर जारी दिशानिर्देश क.रा.बी.निगम के सभी कार्यालयों को परिचालित किए गए थे।

2. क.रा.बी.निगम के अनुरोध पर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) ने साइबर-हमलों, साइबर धोखाधड़ी आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए आगामी तीन **"साइबर जागरूकता दिवस"** अर्थात प्रत्येक माह के पहले बुधवार को क.रा.बी.निगम के लिए एक विशेष ऑनलाइन सत्र आयोजित करने पर अपनी सहमति दी है। हमसे अपेक्षित है कि हम आवश्यक व्यवस्थाएं करें ताकि हम अपने सभी कर्मचारियों को आगामी 3 सत्रों में जागरूक कर सकें।

3. तदनुसार, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एतदद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि अगले तीन माह में हमारे संगठन के लिए आयोजित होने वाले साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के अनिवार्य ऑनलाइन सत्रों में भाग लें। यह कार्यशाला सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और डिजिटल वातावरण में सुरक्षित पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए तैयार (डिजाइन) की गई है। लाइव कार्यशाला का लिंक यथासमय साझा किया जाएगा।

4. अंचलवार कार्यशाला का मुख्य विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	कार्यशाला का माध्यम	माह	तारीख	अंचल
1	ऑनलाइन कार्यशाला – केवल लाइव सेशन	मई	07.05.2025	उत्तर अंचल, दक्षिण अंचल
2	ऑनलाइन कार्यशाला – केवल लाइव सेशन	जून	04.06.2025	पश्चिम अंचल, पूर्व अंचल एवं पूर्वोत्तर अंचल
3	ऑनलाइन कार्यशाला – केवल लाइव सेशन	जुलाई	02.07.2025	शेष अधिकारीगण/पाँच अंचलों के समस्त कर्मचारी

5. इस संबंध में, निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए:

क. क.रा.बी.निगम के लिए प्रति सत्र केवल सीमित संख्या में लिंक/कनेक्शन(300) की अनुमति है। इसलिए, सभी कार्यालय प्रमुखों/प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अधिकारियों के बैचों को नामित करें जो एक साथ ऑनलाइन सत्रों में भाग ले सकें ताकि ऑनलाइन सत्र के लिए कम से कम लिंक के साथ अधिकतम संख्या में अधिकारी सत्र में भाग ले सकें।

ख. स्थलों के प्रमुखों/प्रभारियों से अनुरोध है कि वे तैनात कुल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या, कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या और कार्यशाला में भाग नहीं लेने वाले कुल शेष अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही, कृपया कार्यशाला में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण एक्सेल शीट में निर्धारित प्रोफार्मा में ईमेल आईडी - 'ad-ict@esic.nic.in' पर जमा करें।

6. सभी कार्यालय प्रमुखों/क.रा.बी.निगम कार्यालयों के प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यशाला में कम से कम एक बार भाग लेने के लिए भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि यह क.रा.बी.निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

Digitally signed by
Mohit Kumar
Date: 06-05-2025
16:08:16

(मोहित कुमार)
उप निदेशक (आईसीटी)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय बीमा आयुक्त/क्षेत्रीय चिकित्सा आयुक्त
2. सभी क्षे.का./उ.क्षे.का. के क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक(प्रभारी)/संयुक्त निदेशक(प्रभारी)
3. सभी क.रा.बी.निगम चिकित्सा अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक
4. निदेशालय(चिकित्सा) दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा) नोएडा/निदेशक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी
5. सभी क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के डीन
6. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रपत्र:

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम	पदनाम	कर्मचारी संख्या